न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :–स्वाति गुप्ताआर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–114/2023

1 हंसराज पुत्र लिछमणराम जाति बावरी निवासी चन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– – प्रार्थी

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र लिछमनराम जाति बावरी निवासी चन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी। – – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क)

उपस्थित अभिभाषकगण:–

1. श्री निर्माण सिंह अधिवक्ता – –प्रार्थी
2. श्री कुन्दनलाल अधिवक्ता – –अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक :–19:2:2024

प्रार्थी हंसराज ने अप्रार्थी के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र 251ए आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में पेश किया है कि प्रार्थी की कृषि भूमि तहसील टिब्बी के चक नम्बर 10 एन.जी.सी. जमाबन्दी सम्वत् 2075 ता 2078 के वर्तमान खाता संख्या 210/196 के पत्थर नम्बर 206/254(5) किला नम्बर 18 ता 19/0.506, 22/3/0.052 कुल 0.558 हैक्टर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

अप्रार्थी संख्या 1 के नाम चक नंम्बर 10 एन.जी.सी. जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के वर्तमान खाता संख्या 170/168 के पत्थर नम्बर 206/254(5) किला नम्बर 22/2/0.127, 23/0.253, 24/1/0.246, 24/2/0.007 कुल 0.633 हैक्टर भूमिं दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी

चक नम्बर 10 एन.जी.सी. के पत्थर नम्बर 206/254(5) की दक्षिणी सीमा पर पत्थर लाईन पर पक्की सड़क पश्चिम से पू[illegible]न्दूरवाली से गांव नाईवाला की ओर जाती है, जो रिकॉर्ड में [illegible] है। प्रार्थी की भूमि में आवागमन के लिए कोई स्वीकृत शुदा रास्ता [illegible] है। वर्तमान में प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि के चिपते पक्की सड़क, जो पश्चिम से पूर्व की तरफ चन्दूर[illegible] नाईवाला गांव की ओर जाती है, से होते हुए अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि के पत्थर नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:11:34 IST
Reason: SelfAttested

206/254(5) किला नम्बर 22/2 की पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर चलकर अपनी भूमि के किला नम्बर 22/3 में प्रवेश करता है। प्रार्थी की कृषि भूमि में आवागमन के लिए इससे करीब व आसान रास्ता और कोई नहीं है उक्त रास्ता मौका पर चालू है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 उक्त रास्ता को बंद करने, नष्ट करने व खुर्द बुर्द करने की धमकियां दे रहा है व प्रार्थी के खेत में आवागमन में बाधा उत्पन्न करता है इसलिए प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 के नाम अंकित चक नम्बर 10 एन.जी.सी. के पत्थर नम्बर 206/254(5) किला नम्बर 22/2 की पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर 0.022 हैक्टर रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत करवाना चाहता है तथा उक्त रास्ता की एंवज में प्रार्थी अपनी साथ चिपती भूमि अथवा राशि देने को तैयार है।

आज से करीब 5 दिवस पूर्व प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से उक्त रास्ता को राजस्वं रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया, लेकिन उक्त अप्रार्थी संख्या 1 स्पष्ट इन्कार हो गया। बस यही बिनाय प्रार्थना–पत्र है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है व अन्दर मियाद तथा काविल समायत अदालत हाजा के है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए. पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि चक नम्बर 10 एन.जी.सी. के पत्थर नम्बर 200/264(5) किला नम्बर की पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर 0.022 हैक्टर रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अंकन किये जाने का आदेश फरमावे।

उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना–पत्र पेश होने पर सरिस्ता की रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र की दफाओं को स्वीकार करते हुए अपना सहमति का जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की कृषि भूमि तहसील टिब्बी के चक नम्बर 10 एन.जी.सी. के वर्तमान खाता संख्या 210/196 के पत्थर नम्बर 206/254(5) किला नम्बर 18 ता 19/0.506, 22/3/0.052 कुल 0.558 हैक्टर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

मुझ अप्रार्थी संख्या 1 के नाम चक नम्बर 10 एन.जी.सी. के वर्तमान खाता संख्या 170/168 के पत्थर नम्बर 206/254(5) किला नम्बर 22/2/0.127, 23/0.253, 24/1/0.246, 24/2/0.007 कुल 0.633 हैक्टर भूमिं दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:11:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

चक नम्बर 10 एन.जी.सी. के पत्थर नम्बर 206/254(5) की दक्षिणी सीमा पर पत्थर लांईन पर पक्की सड़क पश्चिम से पूर्व गांव चन्दूरवाली से गांव नाईवाला की ओर जाती है, जो रिकॉर्ड में स्वीकृत शुदा है तथा वर्तमान में चालू है। प्रार्थी की भूमि में आवागमन के लिए कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है। वर्तमान में प्रार्थी, मुझ अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि के चिपते पक्की सड़क, जो पश्चिम से पूर्व की तरफ चन्दूरवाली से नाईवाला गांव की ओर जाती है, से होते हुए मुझ अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि के पत्थर नम्बर 206/254(5) किला नम्बर 22/2 की पश्चिम दिशा में दक्षिण से उतर की ओर चलकर अपनी भूमि के किला नम्बर 22/3 में प्रवेश करता है। प्रार्थी की कृषि भूमि में आवागमन के लिए इससे करीब व आसान रास्ता ओर कोई नहीं है उक्त रास्ता मौका पर चालू है।

मुझ अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि चक नम्बर 10 एन.जी.सी. पत्थर नम्बर 206/254(5) किला नम्बर 22/2 की पश्चिमी दिशा में उत्तर से दक्षिण की और 0.022 हैक्टर रास्ता स्वीकृत किया जाकर प्रार्थी की कृषि भूमि चक नम्बर 10 एन.जी.सी. के पत्थर नम्बर 206/254(5) किला नम्बर 18/0.011 हैक्टर दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम, किला नम्बर 19/0.011 हैक्टर (रिहायशी ढ़ाणी की जगह को छोड़कर), दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम की कृषि भूमि मुझ अप्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाकर चक नम्बर 10 एन.जी.सी. के खाता संख्या 210/196 में से प्रार्थी का हिस्सा कम किया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को कोई उज्र व ऐतराज नही है। इसी अनुसार हमारा आपस में राजीनामा हो गया है व मैं अप्रार्थी इससे पूर्णतया सहमत हूं। तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सहमति का जबाब प्रार्थना पत्र व पत्रावली मे संलग्न जमाबन्दीयों व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र, व तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी के जवाब प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। रास्ता की आत्यांतिक आवश्यकता व वैकल्पिक रास्ते के अभाव के मद्देनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टिब्बी

क्रियात्मक आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:11:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी एवम् अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषकों [illegible] बहस [illegible] करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद अप्रा[illegible] द्वारा प्रस्तुत किये गये जबाब प्रार्थना–पत्र मय राजीनामा के अनुसार प्रार्थना–[illegible] स्वीकार योग्य पाये जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) के अन्तर्गत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र

Scanned with OKEN Scanner

स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 शंकरलाल की कृषि भूमि चक नम्बर 10 एन.जी. सी. पत्थर नम्बर 206/254(5) किला नम्बर 22/2 की पश्चिमी दिशा में उत्तर से दक्षिण की और 0.022 हैक्टर रास्ता स्वीकृत किया जाकर, रास्ते में आई भूमि के बदले प्रार्थी हंसराज की कृषि भूमि चक नम्बर 10 एन.जी.सी. के पत्थर नम्बर 206/254(5) किला नम्बर 18/0.011 हैक्टर दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम, किला नम्बर 19/0.011 हैक्टर (रिहायशी ढ़ाणी की जगह को छोड़कर), दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम की कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 शंकरलाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाकर चक नम्बर 10 एन.जी.सी. के खाता संख्या 210/196 में से प्रार्थी हंसराज का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.2.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:11:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner